

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
बलभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-34 / 2013 / 20-3  
प्रति.

भोपाल, दिनांक

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय शिक्षण संरथा कोपल पब्लिक स्कूल, बरखेडी कलौं, नीलबड़ रोड, भोपाल, म0प्र0 को सी.बी.एस.इ. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संरथा द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संरथा को सी.बी.एस.इ. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-


- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संरथा/समिति द्वारा ग.प्र. शारान एवं लोक शिक्षण रांचालालय द्वारा रामय-समय पर शिक्षा के प्रवंध एवं विकास के संबंध में जारी नियंत्रण का पालन किया जायेगा।
- (2) संरथा की प्रवंध कारिणी समिति गे जिल्य शिक्षा अधिकारी, भोपाल (म0प्र0) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में रामिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संरथा में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संरथा के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संरथा को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.के.चौकरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

2  
  
PRINCIPAL  
Kopal Public School  
Budhabdi Kahan, N. Bad Road

/// 2 ///

पृष्ठां क्रमांक एफ 73-34 / 2013 / 20-3

भोपाल, दिनांक 28/6/13

प्रतिलिपि :-

1-

सचिव, अशासकीय शिक्षण संरथा कोपल पब्लिक रकूल, बरखेड़ी कलों, नीलबड़ रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता / मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- (1) रास्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) रास्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिक्षायत जांच में राहीं पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, मध्यप्रदेश।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

4- ऑर्डर युक्त।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शारानगर कूल शिक्षा विभाग  
28/6/13

PRINCIPAL  
Kopal Public School  
Barkhedi Kalan, Nizamuddin Road  
BHOPAL